दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, शुक्रवार 21 दिसम्बर 2018 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-82

महत्वपूर्ण एवं खास

भारत को अस्थिर कर रहा है पाक

यूएस रिपोर्ट में खुलासा

वाशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिकी रिपोर्ट से खुली हुआ है कि सचमुच में पाकिस्तान भारत को अस्थिर कर रहा है। इस काम में पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आईएसआई बड़ी भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी ग्लोबल सिक्योरिटी रिव्यू ने फिर एक बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को कठघरे में खड़ा कर दिया है। रिव्यू के मुताबिक, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी ने आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया है जो भारत के भीतर सामरिक रूप से सक्रिय हैं। केवल इतना ही नहीं यह अफगानिस्तान में भी अपना अधिक प्रभाव डालते हैं।

आतंकवादी हमलों की साजिश रचने वाले को 40 साल जेल की सजा

वाशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के समर्थन में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने वाले कनाडाई नागरिक को 40 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के विधि मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी।

माचिस फैक्ट्री में धमाका, एक की मौत

बठिंडा (आरएनएस)। बठिंडा से बड़ी खबर है। यहां बुधवार दोपहर को बंद पड़ी फैक्टरी में विस्फोट हो जाने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में दो मजदूर झुलस गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान नहीं हुई है। ये विस्फोट मानसा रोड स्थित इंडिस्ट्रयल फोकल प्वाइंट स्थित माचिस फैक्टरी में हुआ। बताया जाता है कि ये फैक्ट्री काफी समय से बंद पड़ी है। आज कुछ लोग फैक्ट्री में कबाड़ लेने पहुंचे तो एकाएक धमाका हो गया।

ईडी ने की चिदंबरम से पूछताछ

आईएनएक्स मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को मामले के जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष पेश होकर धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज कराने को कहा गया था। चिदंबरम अपने वकील के साथ सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे पहुंचे।

महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म, दो 7-7 सौ और दो 11 सौ ग्राम के

रायपुर। अंबेडकर अस्पताल में मंगलवार की रात 28 साल की युवती ने चार बच्चों को जन्म दिया। दो लड़के और दो लड़कियां हैं। बच्चे साढ़े सात महीने में ही हो गए हैं। दो बच्चों का वजन 11-11 सौ और दो का सात-सात सौ ग्राम है। एक की हालत इतनी नाजुक है कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। हालांकि सभी बच्चों को जन्म लेते ही नर्सरी में शिफ्ट किया गया है। पीडियाट्रिक विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। कचना के ईश्वर साहू को पत्नी के गर्भवती होने के दो महीने के भीतर ही पता चला गया कि दो से ज्यादा बच्चे हैं। दो-तीन बार सोनोग्राफी कराने के बाद तो स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। डाक्टरों ने उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। हर महीने और कई बार महीने में दो-दो बार युवती की सोनोग्राफी जांच करवायी गई। इसके बावजूद उसे कोई कोई न तकलीफ रहती थी। सात महीने गुजरने के बाद डाक्टरों ने महिला की स्थिति देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उसके बाद डाक्टरों ने प्री मैच्योर यानी समय से पहले डिलीवरी करवाने का फैसला किया गया। मंगलवार की रात विशेषज्ञ डाक्टरों की मौजूदगी में उसकी सर्जरी की गई।

मौत के 10 महीने बाद कोर्ट से मिला न्याय

बेटी ने लगाया था रेप का आरोप

नई दिल्ली (आरएनएस)। हाईकोर्ट के एक फैसले ने 17 साल पहले अपनी ही नाबालिग बेटी से कथित दुष्कर्म मामले में शख्स दोषमुक्त कर दिया है। ज्ञात हो कि उक्त शख्स को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहरा गया था। हालांकि वह व्यक्ति सजा सुनने के लिए अब जिंदा नहीं है। आखिरकार अपनी मौत के 10 महीने बाद उसे इंसाफ मिला जबकि वह पहले दिन ही से अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा था। इस मामले को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है।

कोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में मृतक को इस मामले में बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट के गलत दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में न तो जांच सही ढंग से की गई और न ही ट्रायल सही हुआ। इसके चलते अभियुक्त को 10 साल जेल में गुजारने पड़े। जस्टिस आरके गाबा ने अपने 22 पेज के फैसला में कहा कि अभियुक्त पहले दिन से ही इस मामले में उसकी लड़की को अगवा करने और बहकाने वाले लड़के द्वारा साजिश का आरोप लगाता रहा।

जनवरी 1996 में दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने के वक्त लड़की गर्भवती थी लेकिन जांच एजेंसी और ट्रायल कोर्ट ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभियुक्त पिता ने भ्रूण का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराने को भी कहा लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट ने भी जांच एजेंसी को इस मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं दिए।

जस्टिस गाबा ने कहा कि जांच पूरी तरह से एकपक्षीय थी। इतने वक्त बाद, यह कोर्ट केवल सभी संबंधित पक्षों की निष्क्रियता पर खेद ही जता सकता है। इस कोर्ट के विचार से इस मामले के कई तथ्यों और परिस्थितियों की ट्रायल कोर्ट द्वारा दुर्भाग्य से अनदेखी की गई।

अभियोजन पक्ष ने अविश्वसनीय और असंभव तथ्य पेश किए। इस साल फरवरी में मृत व्यक्ति को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि न तो जांच एजेंसी और न ही ट्रायल कोर्ट ने किसी भी चरण में अभियुक्त के साथ न्याय किया। बचाव पक्ष के सुबूतों खासकर परिवार के करीबी सदस्यों के बयान को नकार दिया गया। यह बहुत ही दुख की बात है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने आंख मूंदकर अभियोजन की कहानी को स्वीकार कर लिया। अभियुक्त के निधन के बाद भी उसकी पत्नी ने मामले को आगे बढ़ाया।

कोर्ट ने यह भी पाया कि 16 वर्षीय अपनी बेटी के लापता होने के बाद पिता ने अगवा होने की एफआईआर दर्ज कराई थी लेकिन इस शिकायत को बिना किसी जांच के इसलिए बंद कर दिया गया कि बेटी ने शिकायत की थी कि उसका पिता 1991 से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। ट्रायल कोर्ट के सामने दिए गए लड़की के बयान का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की शिकायत करने के लिए लड़की पर कोई रोक नहीं थी।

पेंशनबाड़ा के हास्टल में तनाव की स्थिति. एसटी और एससी छात्रों के बीच हुई मारपीट

रायपुर। राजधानी रायपुर के पेंशनबड़ा हॉस्टल में 15 दिसंबर को शुरु हुए एसटी एससी छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला अब भी जारी है. छात्रों ने आपसी विवाद के कारण हॉस्टल में पुलिस प्रशासन के सामने ही तोड़फोड़ भी की. वहीं अब पुलिस का कहना है कि मामले जांच चल रही है जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी. अभी भी पेंशनबड़ा हॉस्टल में एडिशनल एसपी सहित 100 जवान तैनात हैं.वहीं आज सुबह साढ़े आठ बजे के लगभग आदिवासी छात्रों का एक दल एससी छात्रवास के खिड़कियों में पथराव किया है. एसटी छात्रों ने आरोप लगाया कि मीडिया आदि में केवल एसटी छात्रों के खिलाफ़ की गई तोड़फोड़ का फुटेज ही दिखाया गया, जबकि एससी के छात्रों ने हमारे हॉस्टल में तोड़फोड़ की है उसे कहीं नहीं दिखाया गया. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को नियंत्रण में कर लिया है. इस संबंध में एएसपी सिटी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि पेंशनबड़ा हॉस्टल में छात्रों के बीच मारपीट हुआ है जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, आज फिर से हंगामा करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराया है.

सज्जन कुमार ने सरेंडर के लिए हाईकोर्ट से मांगे 30 दिन

1984 सिख विरोधी दंगे

नईदिल्ली (आरएनएस)। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले के दोषी सज्जन कुमार ने सरेंडर के लिए हाईकोर्ट से एक महीने का समय मांगा है. इस केस की सुनवाई कल हो सकती है. उन्हें इसी हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी. कोर्ट ने उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. उम्रकैद के अलावा उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा बाकी दोषियों को जुर्माने के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने होंगे.

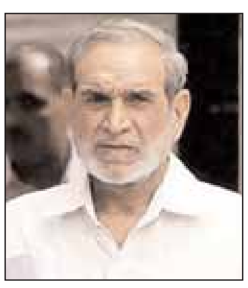

ज्ञात हो कि मंगलवार को कोर्ट से फैसला आने के बाद सज्जन कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

ये मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर 1984 का है. दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. मामले में बाक़ी लोगों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. करीब 34 साल बाद 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने सोमवार को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी माना और उम्रकैद की सजा दे दी. उनको आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है. इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को पहले निचली अदालत ने बरी कर दिया था.

जस्टिस एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने 29 अक्टूबर को सीबीआई, दंगा पीड़ितों और दोषियों की ओर से दायर अपीलों पर दलीलें सुनने का काम पूरा करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. मामले की शुरुआत 1984 से होती है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे. दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही.

कम्यूनिकेशन सैटलाइट जीसैट-7ए श्रीहरिकोटा से हुआ लॉन्च

सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रवेश

श्रीहरिकोटा (आरएनएस)। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने अपने कम्युनिकेशन सैटलाइट जीएसएलवी-एफ11/जीसैट-7 ए को लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्चिंग कुछ देर बाद वह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। यह सैटलाइट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खास है। इस सैटलाइट की लागत 500-800 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसमें 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनके जरिए करीब 3.3 किलोवॉट बिजली पैदा की जा सकती है। इसके साथ ही इसमें कक्षा में आगे-पीछे जाने या ऊपर जाने के लिए बाई-प्रोपेलैंट का केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम भी दिया गया है।

जीसैट-7ए से पहले इसरो जीसैट-7 सैटलाइट जिसे रुक्मिणि के नाम से जाना जाता है, भी लॉन्च कर चुका है। इसका लॉन्च 29 सितंबर 2013 में किया गया था और यह भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया था। यह सुविधाएं प्रदान करता है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना को एक और सैटलाइट जीसैट-7 सी मिल सकता है, जिससे इसके ऑपरेशनल आधारित नेटवर्क में और ज्याद बढ़ोतरी होगी।

भारतीय वायु सेना के लिए है खास

जीसैट-7ए से केवल वायुसेना के एयरबेस ही इंटरलिंक नहीं होंगे बल्कि इसके जरिए ड्रोन ऑपरेशंस में भी मदद मिलेगी। इसके जरिए ड्रोन आधारित ऑपरेशंस में एयरफोर्स की ग्राउंड रेंज में खासा इजाफा होगा। बता दें कि इस समय भारत, अमेरिका में बने हुए प्रीडेटर-बी या सी गार्डियन ड्रोन्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये ड्रोन्स अधिक ऊंचाई पर सैटलाइट कंट्रोल के जरिए काफी दूरी से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। जीएसएलवी-एफ11 की यह 13वीं उड़ान होगी और सातवीं बार यह इंडीजेनस क्रायोनिक इंजन के साथ लॉन्च होगा। बता दें, जीसैट-7ए का वजन 2,250 किलोग्राम है।

अटबारा में प्रदर्शनों के बाद आपातकाल घोषित

खार्तूम (आरएनएस)। सूडान की सरकार ने बुधवार को नाहर-अल-नील प्रांत के अटबारा शहर में हुए प्रदर्शनों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। सूडान के अशरूक नेट ने यह जानकारी दी।

नाहर अल नील प्रांत के प्रवक्ता इब्राहिम मुख्तार ने बताया कि सरकार की सुरक्षा समिति की बैठक के बाद अगले आदेश तक आपातकाल की घोषणा की गयी और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है जबकि की सेवा एवं सुविधा केंद्रों को मुक्त रखा गया है। अटबारा शहर में सभी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में कक्षाएं स्थगित कर दी गयी हैं। समाचार एजेंसी सना के अनुसार सूडान में सत्ताधारी नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने अलबाटा शहर में हुए हुए प्रदर्शनों की कड़ी निंदा की है। एनसीपी के प्रवक्ता इब्राहिम अल सिद्दिक ने कहा कि किसी भी नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन विध्वंस की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय टीवी की रिपोर्ट के अनुसार अटबारा में प्रदर्शनों के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय, स्थानीय सरकार के मुख्यालय और पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया था।

23 जनवरी तक नहीं करेंगे कोई नियुक्ति

मराठा आरक्षण पर होईकोर्ट में बोली महाराष्ट्र सरकार

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण मुहैया करने वाले नए कानून के तहत 23 जनवरी तक अपने विभागों में वह कोई नियुक्ति नहीं करेगी। दरअसल, इसी तारीख को अदालत मराठा कोटा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है।

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने नौकरियों में भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने को लेकर इस महीने की शुरूआत में राज्य सरकार को फटकार लगाई थी क्योंकि इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं। सरकारी वकील वी ए थोराट ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एनएच पाटिल और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सुनवाई की अगली तारीख (23 जनवरी तक) तक कोई नियुक्ति नहीं करेगी। अदालत ने 10 दिसंबर को सरकार से पूछा था कि क्या वह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट सार्वजनिक करने को इच्छुक है।

गौरतलब है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर ही सरकार ने मराठा कोटा के लिए कानून बनाया था।

लालू को मिली अंतरिम जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे

नई दिल्ली (आरएनएस)। रेलवे टेंडर घोटाले में दायर दो मुकदमों में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को राहत मिल गई है। राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से दायर मुकदमों में लालू को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद चारा घोटाला मामले की सजा काट रहे लालू अभी जेल में ही रहेंगे।

स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए प्रसाद को अंतरिम राहत दी। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इससे पिछली सुनवाई में जज भारद्वाज को बताया गया था कि खराब सेहत की वजह से लालू पहले के निर्देश के मुताबिक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

ऐसे में अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि लालू चाहे अस्पताल में हों या फिर जेल में, विडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।

अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें। यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटेल की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है। इससे पहले 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने इसी मामले में राबड़ी और तेजस्वी यादव को भी जमानत दी थी।

टेंडर के बदले 3 एकड़ जमीन

आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने रेलवे के 2 होटलों बीएनआर रांची और पुरी के देखभाल की जिम्मेदारी विनय और विजय कोचर के मालिकाना हक वाली कंपनी सुजाता होटल को सौंपी और इसके बदले लालू ने एक बेनामी कंपनी के जरिए 3 एकड़ महंगी जमीन प्राप्त की। सीबीआई ने इस मामले में इंडियन पेनल कोड की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार से जुड़ी अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

कराना होगा पतंजलि के खातों का स्पेशल ऑडिट

बाबा रामदेव को हाईकोर्ट का झटका

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को जबरदस्त झटका दिया है। अब बाबा रामदेव के स्वामित्व वाली आयुर्वेद कंपनी को अपने खातों की स्पेशल ऑडिट करानी होगी। आयकर विभाग द्वारा 2011 में दायर की गई एक याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कंपनी को अपने सभी खातों का स्पेशल ऑडिट कराना होगा। कोर्ट ने कंपनी से कहा है कि वो इसके लिए आयकर आधिकारियों का सहयोग करे।

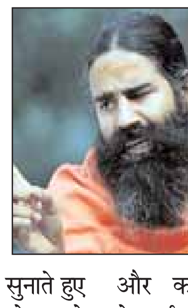

आयकर विभाग ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि कंपनी का एक नहीं बल्कि बहुत सारे खाते हैं, जिसकी वजह से स्पेशल ऑडिट होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को कहां-कहां से आय होती है इसकी जानकारी केवल स्पेशल ऑडिट से ही मिल सकेगी।

पतंजलि की बिक्री पिछले पांच साल में पहली बार गिर गई है। जीएसटी और कमजोर होते विपणन नेटवर्क की वजह से कंपनी की आय भी 2013 के बाद मार्च 2018 में समाप्त हुए वित्त वर्ष में 10 फीसदी से ज्यादा गिरावट के साथ 8148 करोड़ रुपये रही।

हालांकि इन सबके बावजूद कंपनी ने इस साल डेयरी और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में भी प्रवेश किया है।